निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

29/20 नेमी रोड पो.ओ.डालनवाला देहरादून ई.मेल ukchiefpo@ gmail.com

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड तथा धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति का गठन राज्य के प्रत्येक जनपद में करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड के द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी, लेकिन जनपद **रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली तथा पौड़ी** में आवेदन पत्र कम प्राप्त होने अथवा महिला अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन न करने के कारण निम्न पदों हेतु इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किये जाते है पूर्व में आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है :–

1. बाल कल्याण समिति में **अध्यक्ष पद** : जनपद बागेश्वर, चम्पावत, पौड़ी।
2. बाल कल्याण समिति में **सदस्य पदः** जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ, चम्पावत, उत्तरकाशी, पौडी
3. किशोर न्याय बोर्ड में **सदस्य पदः** जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ, चम्पावत, पौडी।

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य पद हेतुः किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 4 (2) के अनुसार 02 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन राज्य के प्रत्येक जनपद में होगा, जिसमें 01 महिला का होना अनिवार्य है। नियम, 2016 के उप नियम, 4 (3) के अन्तर्गत सदस्यों की अर्हता हैः न्यूनतम आयु 35 वर्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव होगा या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज–विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत होने चाहिए।

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु : किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 (2) के अनुसार समिति में 01 अध्यक्ष तथा 04 सदस्य होगें, जिसमें न्यूनतम 01 महिला तथा दूसरा बालकों से सम्बन्धित विषयों का विशेषज्ञ होगा। नियम, 2016 के उप नियम, 15 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष व सदस्यों की अर्हता हैः आयु 35 वर्ष से अधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या सामाजिक कार्य या समाज–विज्ञान या मानव विकास या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत् कृतिक या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होने चाहिए।

ह०

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक

आवेदन पत्र का प्रारूप

जिस पद हेतु आवेदित किया जा रहा है उसके आगे✓का चिन्ह लगायें)

(सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष बाल कल्याण समिति/सदस्य बाल कल्याण समिति)

1. नाम..

2. पिता/पति का नाम......................

3. पता......................................

4. पत्राचार का पता............................

5. शैक्षिक योग्यता ....

6. अनुभव प्रमाण–पत्र........................

7. मोबाईल/दूरभाष............................

8 आयु (हाई स्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार)......................

9. ई.मेल.आई.डी.........................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

आयु/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता होने का अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र आदि स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र अपने जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में दिनांक 03 सितम्बर, 2019 तक जमा करना होगा, लिफाफे के ऊपर आवेदित पदनाम यथा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के सदस्य पद हेतु अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।